Thursday

Vijay Kumar Jha.
Assot Prof
Deptt in History
V.S.J. College Rajnagar.

Degree Part I

The Mauryan Administration.

मौर्य सम्राटों के लिये कहा गया है कि "Chandra Gupta Maurya was not only a warrior but also a great administrator." मौर्य प्रशासन प्रशासनिक क्षेत्र में आधुनिक प्रशासन का बोध कराता है। मौर्य प्रशासन केन्द्रीकृत शासन प्रणाली था जिसकी सहायता के लिये कई मंत्री एवं विभाग थे। साम्राज्य प्रशासनिक इकाइयों में बंटा था प्रांत का शासन, गांव का शासन सभी आधुनिक काल कि तरह बंटा था। सेना, न्याय, राजस्व के लिये विभाग संगठित थी।

राजा योग्य एवं शक्ति सम्पन्न, उच्च कुल धारी तथा शीर्ष पद पर आसीन होते थे जो समस्त सैनिक, न्याय तथा कार्यकारी क्षेत्रों में सर्वोच्च अधिकारी होते थे। राजा के आदेश को धर्म, परम्पराओं तथा लोकाचार से ऊपर समझा जाता था। कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च एवं निर्बाध शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। मेगास्थनीज ने कहा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य परिश्रमी, उत्साही तथा समय चक्र के अनुसार चलता था। राजा राज प्रशासन, उच्च न्यायाधीश तथा मुख्य सेनापति होते थे।

कौटिल्य के अनुसार राजा अनुवांसिक उत्तराधिकार के अनुरूप चुनाव होता था जो प्रजा के ऋणी होते थे तथा प्रजा कल्याणकारी भावना रखते थे। सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न होते हुए भी राजा निरं-कुश नहीं होते थे इनके उपर मंत्रिपरिषद जैसी संस्था अंकुश का कार्य करते थे। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों कि नियुक्ति राजा स्वयं करते थे जो दैनिक कार्य सम्पादन करते थे। मंत्रियों कि संख्या अनियत थी। परिषद राजा को पांच विषयों पर परामर्श देते थे (1) कार्य रक्षा, (2) द्रव्य में राज के साधन, (3) कार्य के काल तथा स्थान का निश्चय, (4) आकस्मिक काल में तत्परता (5) शासन को

सुचार रूप से चलाना।

सभा और समिति नामक दो संस्था होती थी जो आधुनिक संसद के समान थी। इनके सदस्यों को राजा मनोनीत करता था। इस संस्था में विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों के लोग होते थे।

मौर्य काल में प्रशासन चलाने के लिये 18 विभाग एवं विभागाध्यक्ष होते थे — (1) मंत्री और पुरोहित, (2) सेनापति (3) युवराज (4) दौवारिक (5) अन्तर्वंशिक, (6) प्रशास्ता, (7) समाहर्ता (8) सन्निधाता (9) प्रदेष्टा, (10) नायक, (11) पौर, (12) व्यावहारिक (13) कर्मान्तिक (14) मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, (15) दण्डपाल, (16) दुर्गपाल (17) आटविक (18) अन्तपाल। खान, लोह, लक्षण, आयुधागार, पोतव, सुरा, सून, मुद्रा, विवीत, द्यूत, बन्धनागार, गौ, नौ, पत्तन, सेना, संस्था, देवता आदि विभाग होते थे। पदाधिकारियों में सबसे उच्च तीर्थ थे जिन्हें अमात्य कहा जाता था तथा द्वितीय श्रेणी में अध्यक्ष होते थे, जिन्हें मजिस्ट्रेट कहा गया है।

मौर्य साम्राज्य कई प्रान्तों में बंटा था जिन्हें चक्र कहा जाता था। इसके शासनकर्ता राजवंश के सदस्य होते थे जिन्हें कुमार कहा जाता था। कुमारों के सहायता के लिये महामात्य नियुक्त होते थे। साम्राज्य का शासन संचालन पाटलिपुत्र से होता था। अशोक के समय छः प्रान्त थे

(1) मध्यराज्य इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था शासन स्वयं सम्राट करते थे
(2) उत्तरापथ :- राजधानी तक्षशिला थी इसमें - कम्बोज, गंधार, कश्मीर आदि
(3) अवन्तिराष्ट्र : राजधानी उज्जैनी थी इसमें - गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजस्थान आदि थे
(4) दक्षिणापथ : राजधानी सुवर्णगिरि थी विंध्याचल के दक्षिण प्रदेश
(5) कलिंग :- राजधानी तोशाली थी
(6) पश्चिमोत्तर क्षेत्र राजधानी कापिशा थी - ये प्रदेश सेल्यूकस से प्राप्त हुए

प्रान्त कई मण्डलों में बंटा था और मण्डल कई जनपद जिलों में बंटा था। प्रान्तों के गवर्नरों को आर्यपुत्र कहा जाता था। जनपद को आहार और विषय भी कहा जाता था इनके अधिकारी अमात्य और महामात्र थे जिन्हें समाहर्ता भी कहा जाता था क्योंकि वे राजस्व संग्रह करते थे। जनपद के अन्तर्गत ग्राम समूह का प्रशासन के सबसे छोटी इकाई

ग्राम थी जिसका प्रधान ग्रामिणी कहलाता था ये निर्वाचित होते थे। दस गांवो के समूह पर गोप नामक अधिकारी था। 800 गांवों के समूह का स्थानिक नामक अधिकारी होते थे ग्राम स्वशासी निकाय था ये राज्य के राजनीति से स्वतंत्र संस्था थी।

मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर शासन के लिये 5 कमिटीयाँ थी प्रत्येक में छः सदस्य होते थे — (1) शिल्पकला समिति (2) वैदेशिक समिति, (3) जनसंख्या समिति, (4) व्यापार समिति (5) कर समिति। नगर प्रमुख को परिव्यावहारिक कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार नगमक स्थानिय और गोप अधिनस्थ अधिकारी थे।

मौर्य साम्राज्य कि एकता तथा सुरक्षा सैन्य शक्ति पर आधारित थी। 600000 पैदल सैनिक 30,000 अश्वारोही, 9000 हाथी और 8000 रथ थे। सैन्य प्रबन्ध के लिये छः समितियाँ थी जिसमें 5 सदस्य होते थे समितियाँ नौ सेना, वाहन और साज सामान, अश्वारोही सेना, पदाति सेना, के कार्य एवं व्यवस्था पर ध्यान रखते थे। सेना के प्रबन्धक बलाध्यक्ष कहते है।

मौर्यकाल में दुर्गों का काफी महत्व था पांच दुर्ग थे - स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, मरु दुर्ग और सीमावर्ती दुर्ग सीमावर्ती दुर्गों के दुर्गपाल को अंतःपाल कहा जाता था। सेना को राजकीय खजाने से पण नामक सिक्के के द्वारा वेतन मिलता था। राजा राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकारी होते थे फौजदारी तथा दिवानी दो न्यायालय थे राजा का निर्णय अंतिम होता था। धर्मस्थीय और कण्टकशोधन दो न्यायालय थे। दण्ड विधान कठोर था छोटे अपराधों के लिये अंगछेदन का दण्ड दिया जाता था।

मौर्य साम्राज्य कि गुप्तचर प्रणाली अत्यंत सक्रिय थी जिसे ओवरसीयर कहा जाता है इनका काम घूमघूम कर अपराधों का पता लगाना था। गुप्तचर दो तरह के थे संस्थानक तथा स्थानिक अर्थात् घूमघूम कर अपराध पता लगाना तथा स्थायी जगह से अपराध पता लगाना।

इस प्रकार मौर्य काल कि शासन व्यवस्था सभी क्षेत्रों में आधुनिकता परिलक्षित करता है।

Sunday 142
APRIL
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Scanned with Can